



HAMIRPUR POLICE



क्राइम ब्रांच/साइबर सेल

दिनांक 13.01.2023

क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड करके, शॉपिंग कर मोबाइल बेचने वाला अभियुक्त 04 अदद मोबाइल(कीमत लगभग-4,00000 रुपए) के साथ गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 21.02.2021 को वादी सतीश पालीवाल पुत्र भगवती निवासी वार्ड नं011 पालीवाल परिसर थाना कुरारा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर मे मु0अ0सं042/2021 धारा 420 आईपीसी व 66 आईटी एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण

मुकदमा की विवेचना साइबर सेल व सर्विलांस की मदद से की गयी जिसके क्रम मे साइबर सेल द्वारा उपलब्ध रिकार्ड से तथ्य प्रकाश मे आया कि विपक्षी संदेही मोनू द्वारा अशीष अग्रवाल की मदद से ऑनलाइन अमेजन एप्प के माध्यम से वादी के क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड करके 04 अदद मोबाइल फोन खरीदे थे। जिनको अभियुक्त आशीष अग्रवाल पुत्र संजय अग्रवाल निवासी ई-07/91 सेक्टर 16 रोहणी थाना केएन काटजू मार्ग दिल्ली द्वारा अग्रवाल टेलीकाम के नाम से दुकान है। अभियुक्त आशीष अग्रवाल के कब्जे से दुकान मे 04 अदद आईफोन बरामद हुए।

बरामदगी का विवरण

04 अदद आईफोन (कीमत लगभग-4,00000 रुपए)

बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1)नि0 ऋषि देव सिंह (अपराध शाखा)
- 2)नि0 राम कुमार यादव (अपराध शाखा)
- 3) हे0का0 संदीप कुमार (साइबर सेल)
- 4)हे0का0 असित कुमार (साइबर सेल)

